

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-4) विभाग

क्रमांक :- प. 19 (3) सा.प्र./गुप-4/14

जयपुर, दिनांक 1-7-14

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-तृतीय श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित तृतीय श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 3.35 लाख (अक्षरे तीन लाख पंचतीस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदया की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि लाखों में	राशि लाखों में
1	श्री वासुदेव शर्मा 3/21 गांधीनगर	1.कान्न शेड 2.चारदीवारी ऊंची करना 3.स्टील गेट	0.23 0.18 0.05	0.46
2	श्री नरेन्द्र सिंह 3/29 गांधीनगर	1.चारदीवारी ऊंची करना	0.48	0.48
3	श्री राजकुमार 3/30 गांधीनगर	1.किचन रिनोवेशन 2.बाथ रिनोवेशन	0.23 0.24	0.47
4	श्रीमती प्रिया 3/82 गांधीनगर	1.टॉयलेट रिनोवेशन	0.48	0.48
5	श्री बी.डी. शर्मा 3/93 गांधीनगर	1.जाली डोर 2.गोदरेज डोर शटर 3.किचन रिनोवेशन 4.किचन कबर्ड शटर	0.08 0.30 0.20 0.10	0.68
6	श्री रामावतार शर्मा ई-741, गांधीनगर,	1.ए.सी. शीट	0.32	0.32
7	श्रीमती सरोज मीणा ई-743 गांधीनगर	1.एम.एस. शीट 2.ए.सी. शीट 3.मैट टाईल्स	0.05 0.31 0.10	0.46
		कुल योग रुपये	-	3.35

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800-अन्य व्यय (01) निर्माण [07] तृतीय एवं चतुर्थ व उनके समकक्ष श्रेणी के अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) से चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि संबंधित आवासों में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर समस्त आवासियों से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय



(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशाशी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. अधिशाशी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-III, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (क)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पृष्ठ संख्या
78.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
79.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
80.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
81.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
82.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
83.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
84.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
85.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
86.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
87.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
88.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
89.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
90.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
91.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
92.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
93.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
94.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
95.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
96.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
97.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
98.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
99.0	आवासीय भवन	15/7/09	1
100.0	आवासीय भवन	15/7/09	1